प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त चयनित स्वयं–सेवी–संस्था,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–रा.तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2018–19 / 1418 दिनांक– 23 / 05 / 2018

विषय– स्कूल जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित स्वयं–सेवी–संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने हेतु "Yellow Line Compaign" चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय जनपद स्तर पर चयनित 43 स्वयं–सेवी–संस्था शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षको, छात्र–छात्राओं व आस–पास के समुदाय को तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने व तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है।

उक्त के क्रत आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2017–18 हेतु जनपद स्तर पर स्कूल जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित उच्चतर स्तर के विद्यालयों में"Yellow Line Compaign" चलाकर यह सुनिश्चित कराये कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री व इस्तेमाल न हो।

इन गतिविधियों में विद्यालय तम्बाकू नियंत्रण समिति, अध्यापकगण, विद्यार्थियों, मीडिया एवं जन समुदाय की सहभागिता से सम्पन्न करावें ताकि अधिक से अधिक लोगों में तम्बाकू एवं तम्बाकू से होने वाले बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा सके।

कैम्पेन से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी आपको संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, इस हेतु उ0प्र0 वॉलण्ट्री हेल्थ एसोसिएशन से भी (ई–मेल–upvhalko@gmail.com) सम्पर्क कर तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

भवदीया

राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।

पत्रांक–रा.तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2018–19 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जिला नोडल अधिकारी को हम इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर पर "Yellow Line Compaign" कैम्पेन का अनुश्रवण कर कैम्पेन से जुड़े फोटो व राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को भेजने का कष्ट करें।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।

"Yellow Line Compaign"

कैम्पेन का उद्येश्य–ः

कैम्पैन का उद्येश्य शिक्षको : व छात्र छात्राओं व समुदाय को तम्बाकू होने वाले दुष्प्रभवों पर जागरूक कराना व मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित कराना है, सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 की धारा–6ब के अनुसार शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। उक्त प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षको व छात्रों के सहयोग से शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में का चिंहान्कन कर तम्बाकू का प्रयोग को रोकना है।

आवाश्यक सामग्री

1. पीला पेन्ट आवाश्यकतानुसार
2. पेन्ट करने हेतु ब्रश 3–4
3. कैमरा

गतिविधियॉ

1. प्रार्थना सभा में अधिक से अधिक शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को विचार साझा करने हेतु प्रोत्साहित करें।
2. प्रार्थना सभा मे सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्येश्य के बारे में जानकारी देते हुये तम्बाकू से होने वाले नुकासान के बारे में बतायें।
3. सभी प्रतिभागियों को सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 की धारा–6ब के बारे में बताते हुये "Yellow Line Compaign" के उदेश्य के बारे में अवगत कराये व बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेने हेतु प्रेषित करें।
4. पीली सीमा रेखा खींचकर तम्बाकू क्षेत्र का चिंन्हाकन करने हेतु स्थानों व पेन्ट करने वाले स्वयं–सेवी–संस्था, छात्र–छात्राओं का चयन कर लें व उनको उनकी भूमिका समझा दें।
5. गतिविधि के सम्पादन करने के दौरान छाया चित्र लें। (चित्र देखे)।

6. मीडिया से रिपोर्ट साझा करें।
7. शैक्षणिक संस्थांनो के चारो ओर 100 गज के दायरे में यदि कही तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हो रही है तो स्कूल प्रबंधक उसे हटाने हेतु नोटिस जारी कराये।

अपेक्षित परिणाम

- सभी प्रतिभागी तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक होगें।
- स्कूल तम्बाकू नियंत्रण कमेटी के सदस्य अपनी भूमिका के बारे में जागरूक हो।
- स्कूल के छात्र–छात्राओं में तम्बाकू नियंत्रण हेतु भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
- शैक्षणिक संस्थान तम्बाकू मुक्त हो जिससे भावी पीढ़ी को तम्बाकू से होने दुष्प्रभावों से मुक्ति मिले।
- मीडिया के माध्यम से बृहद जन–जागरूकता होगी या अन्य संस्थाएं इस प्रकार के कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहित होगी जिससे तम्बाकू के खिलाफ जन–वातावरण तैयार होने में मदत मिलेगी।

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त चयनित स्वयं–सेवी–संस्था,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–रा.तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2018–19 / दिनांक–23/05/2018

विषय– स्कूल जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित स्वयं–सेवी–संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने हेतु "Yellow Line Compaign" चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय जनपद स्तर पर चयनित 43 स्वयं–सेवी–संस्था शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षको, छात्र–छात्राओं व आस–पास के समुदाय को तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्राति जागरूक करने व तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है।

उक्त के क्रत आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2017–18 हेतु जनपद स्तर पर स्कूल जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित उच्चतर स्तर के विद्यालयों में"Yellow Line Compaign" चलाकर यह सुनिश्चित कराये कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री व इस्तेमाल न हो।

इन गतिविधियों में विद्यालय तम्बाकू नियंत्रण समिति, अध्यापकगण, विद्यार्थियों, मीडिया एवं जन समुदाय की सहभागिता से सम्पन्न करावें ताकि अधिक से अधिक लोगों में तम्बाकू एवं तम्बाकू से होने वाले बीमांरियों के प्रति जागरूक किया जा सके।

कैम्पेन से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी आपको संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, इस हेतु उ0प्र0 वॉलण्ट्री हेल्थ एसोसिएशन से भी (ई–मेल–upvhalko@gmail.com) सम्पर्क कर तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

भवदीया

राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।

पत्रांक–रा.तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2018–19 / 1419-20 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जिला नोडल अधिकारी को हम इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर पर "Yellow Line Compaign" कैम्पेन का अनुश्रवण कर कैम्पेन से जुड़े फोटो व राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को भेजने का कष्ट करें।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।

"Yellow Line Compaign"

कैम्पेन का उद्येश्य–:

कैम्पैन का उद्येश्य शिक्षको : व छात्र छात्राओं व समुदाय को तम्बाकू होने वाले दुष्प्रभवों पर जागरूक कराना व मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित कराना है, सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 की धारा–6ब के अनुसार शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। उक्त प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षको व छात्रों के सहयोग से शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में का चिंहान्कन कर तम्बाकू का प्रयोग को रोकना है।

आवाश्यक सामग्री

1. पीला पेन्ट आवाश्यकतानुसार
2. पेन्ट करने हेतु ब्रश 3–4
3. कैमरा

गतिविधियॉ

1. प्रार्थना सभा में अधिक से अधिक शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को विचार साझा करने हेतु प्रोत्साहित करें।
2. प्रार्थना सभा मे सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्येश्य के बारे में जानकारी देते हुये तम्बाकू से होने वाले नुकासान के बारे में बतायें।
3. सभी प्रतिभागियों को सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 की धारा–6ब के बारे में बताते हुये "Yellow Line Compaign" के उदेश्य के बारे में अवगत कराये व बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेने हेतु प्रेषित करें।
4. पीली सीमा रेखा खींचकर तम्बाकू क्षेत्र का चिंन्हाकन करने हेतु स्थानों व पेन्ट करने वाले स्वयं–सेवी–संस्था, छात्र–छात्राओं का चयन कर लें व उनको उनकी भूमिका समझा दें।
5. गतिविधि के सम्पादन करने के दौरान छाया चित्र लें। (चित्र देखे)।

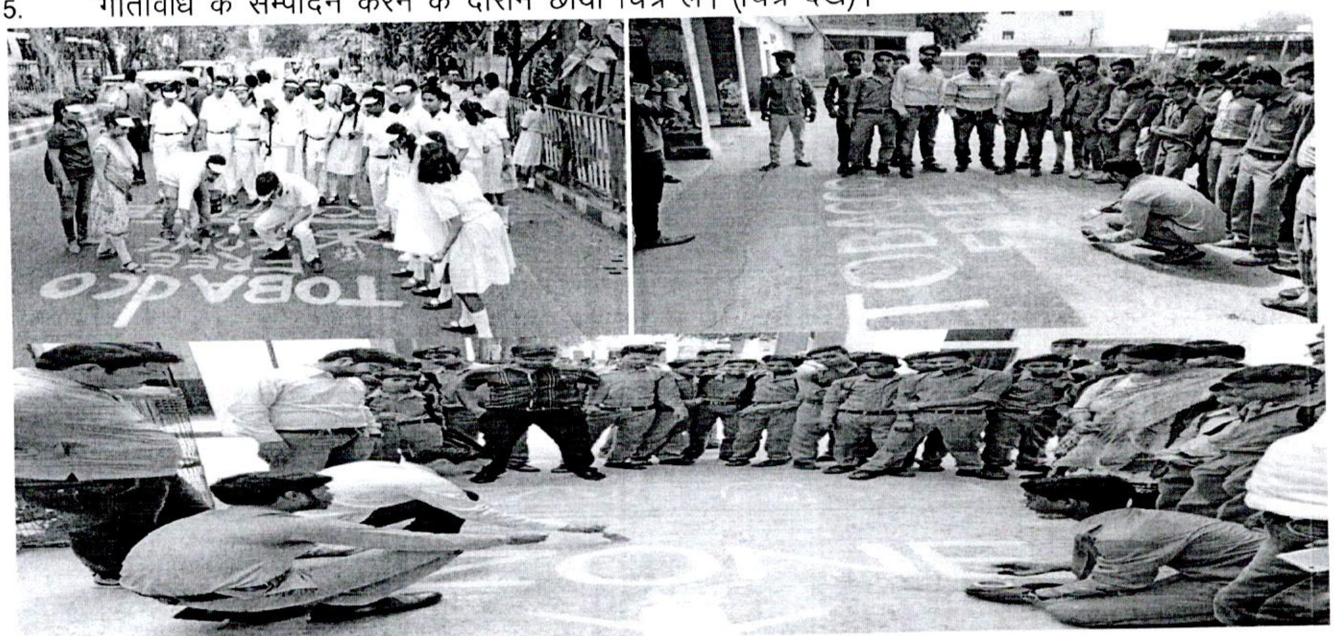

6. मीडिया से रिपोर्ट साझा करें।
7. शैक्षणिक संस्थांनो के चारो ओर 100 गज के दायरे में यदि कही तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हो रही है तो स्कूल प्रबंधक उसे हटाने हेतु नोटिस जारी कराये।

अपेक्षित परिणाम

- ❖ सभी प्रतिभागी तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक होगें।
- ❖ स्कूल तम्बाकू नियंत्रण कमेटी के सदस्य अपनी भूमिका के बारे में जागरूक हो।
- ❖ स्कूल के छात्र–छात्राओं में तम्बाकू नियंत्रण हेतु भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ❖ शैक्षणिक संस्थान तम्बाकू मुक्त हो जिससे भावी पीढ़ी को तम्बाकू से होने दुष्प्रभावों से मुक्ति मिले।
- ❖ मीडिया के माध्यम से बृहद जन–जागरूकता होगी या अन्य संस्थाएं इस प्रकार के कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहित होगी जिससे तम्बाकू के खिलाफ जन–वातावरण तैयार होने में मदत मिलेगी।